

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प. 22(32)न्याय/1999

जयपुर, दिनांक 22-9-2020

::आज्ञा::

श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में उप विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध तुरन्त प्रभाव से एतद्द्वारा किया जाता है।

आज्ञा से

  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर को उनसे प्राप्त सहमति के क्रम में।
4. आयुक्त, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. पंजीयक, कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
6. श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे तुरन्त प्रभाव से नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव